

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री सका पुत्र कालु भील निवासी बड़ियार तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय मावली जिला उदयपुर।
2. पटवारी, पटवार हल्का बड़ियार तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 131/25 (वाद) GCMS No. – 2025/270

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बड़ियार पटवार हल्का बड़ियार तहसील मावली खेडी की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 324 पर दर्ज आराजी नम्बर 1763, 1764, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 किता 9 कुल रकबा 1.0362 हेक्टेयर भूमि में वादी का नाम सुखा पुत्र काल्या के बजाय सका पुत्र कालु संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है।

इसी प्रकार खाता संख्या 72 पर दर्ज आराजी नम्बर 1758, 1759, 1760, 1804, 1805, 1810, 1812 किता 7 कुल रकबा 1.6917 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम सुखा पुत्र कालु के बजाय सका पुत्र कालु संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 11.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

